दूसरे के ब्रांड नेम का इस्तेमाल कर पानी बेचने का गोरखधंधा

भारतीय मानक ब्यूरो ने की छापामार कार्रवाई

खूब फल-फूल रहा था अवैध कारोबार

रायपुर। नईदुनिया प्रतिनिधि

राजधानी समेत प्रदेशभर में बोतलबंद पानी का अवैध कारोबार चल रहा है। इसकी तस्दीक भारतीय मानक ब्यूरो शाखा रायपुर से हुई है। ब्यूरो ने शुक्रवार को ग्राम- सोमाझितिया, डोंगरगांव में मेसर्स नंदनी ड्रिंकिंग वाटर द्वारा बिना बीआइएस वैध लाइसेंस के नंदनी ब्रांड का उपयोग कर अवैध रूप से बोतल बंद पानी बेचने का कारोबार पकड़ा है।

ब्यूरो रायपुर के वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख वी. गोपनाथ ने बताया कि आरोपित पैकेजबन्द पेयजल एवं पैकेजबन्द प्राकृतिक पेयजल को लगातार शिकायत मिल रही थी कि यह बोतलबंद पानी राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों तक पहुंच रहा है। इस आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिक एफ व प्रमुख वी. गोपनाथ के नेतृत्व में जांच टीम गठित कर छापेमारी की कार्रवाई की। जांच दल में ब्यूरो के वैज्ञानिक एफे महारणा, वैज्ञानिक डी की अगुवाई में कौशलेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक सी एवं स्मिथ कुमार, क. आशुलिपिक शामिल थे।

पुलिस के सहयोग से की कार्रवाई

स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से ब्यूरो की टीम ने सघन छापामारी की। मेसर्स नंदनी वाटर की ओर से निर्माण किए गए भारी मात्रा में पानी के 1 लीटर बोतल बंद पेयजल की आइएसआइ मार्कायुक्त बोतलें और 250 एमल पानी के पाउच की थैरियां जब्त की गईं। कंपनी की मालकिन पुष्पा सिंहा व दानीराम सिन्हा के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

प्यूरीफाइड वाटर- हर्बल प्रोसेस बताकर दुरुपयोग करते हुए बोतलबंद पानी का धंधा कर रहे थे। वे मानक मुहर का निर्माण करके कारोबार चल रहा थे।

यह हो सकती है कार्रवाई

अधिकारियों के मुताबिक दोष साबित होने पर कम से कम दो लाख से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दो साल की जेल या दोनों हो सकती है। या जब्त किए गए माल का 10 गुना जुर्माना अर्थदंड के रूप में किया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि आइएसआइ मार्क का दुरुपयोग किए जाने पर कठोर कार्रवाई करने संबंधी बेतावनी बार-बार जारी की जाती रही है। अधिकारियों के अनुसार आगे भी आइएसआइ मार्क के दुरुपयोग होने की सूचना उपरांत विभाग द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी।

मानक ब्यूरो शाखा रायपुर ने शुक्रवार को बिना बीआइएस वैध लाइसेंस के नंदनी प्रयोग कर अवैध रूप से बोतल बंद पानी बेचने का करोबार पकड़ा।

छापे में मिली बोतल की जांच करते भारतीय मानक ब्यूरो शाखा रायपुर के वैज्ञानिक

15 तक ऑनलाइन सबमिट करने हैं दस्तावेज, झोंकी ताकत

32 हजार उड़ाने वाला ऑटो गिरोह